जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर 46/2016

विविध बैंक प्रकरण सं0 46/2016 भारतीय स्टेट बैंक शाखा सादुलशहर जरिये मुख्य प्रबन्धक बनाम 1—मैसर्स जांगिड़ ट्रेडर्स 51बी, नई धान मण्डी, सादुलशहर जरिये प्रोपराईटर सुरेन्द्रकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जांगिड़ निवासी 51बी नई धानमण्डी सादुलशहर 2—सुरेन्द्रकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जांगिड़ निवासी 51बी नई धानमण्डी सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09.01.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स जांगिड ट्रेडर्स 51 बी धानमण्डी सादुलशहर जरिये प्रोपराईटर सुरेन्द्रकुमार को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 4,00,000 रूपये (अखरे चार लाख रूपये) दिनांक 19.09.2000 को स्वीकृत किया गया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति जांगिड़ निवासी 51बी नई धानमण्डी, सादुलशहर द्वारा Nohra No. 53 Old Dhan mandi Sadulsahar (21.6 x 90) Total 1935 Sq- Feet) Distt. Sriganganagar प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी ऋणी का ऋण खाता दिनांक 01.07.2012 को एनपीए घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी/गारन्टर के नाम दिनांक 15.01.2016 को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थी ऋणी/गारन्टर द्वारा बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। अप्रार्थी ऋणी की तरफ दिनांक 15.01.2016 को 2,40,792/—रूपये बकाया है इसके बाद बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे अतिरिक्त है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी/गारन्टर सुरेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई Nohra No. 53 Old Dhan mandi Sadulsahar (21.6 x 90) Total 1935 Sq- Feet) Distt. Sriganganagar का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

46/2016 जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स जांगिड ट्रेडर्स 51 बी धानमण्डी सादुलशहर जरिये प्रोपराईटर सुरेन्द्रकुमार को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 4,00,000 रूपये (अखरे चार लाख रूपये) दिनांक 19.09.2000 को स्वीकृत किया गया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी प्रो0 सुरेन्द्र कुमार द्वारा Nohra No. 53 Old Dhan mandi Sadulsahar (21.6 x 90) Total 1935 Sq- Feet) Distt. Sriganganagar प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की ऋण राशि का नियमित रूप से भुगतान नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 01.07.2012 को एनपीए घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के पार्टनर सुरेन्द्रकुमार, श्रीमति विद्यादेवी, राजेन्द्रकुमार व गारन्टर सुरेन्द्रकुमार को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 1501.2016 का दिनांक 15.01.2016 को बकाया राशि 240792/—रूपये व इसके बाद बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे अतिरिक्त का भिजवाया गया। रजि0 एडी रसीद अनुसार धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी/गारन्टर सुरेन्द्रकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जांगिड निवासी 51बी नई धानमण्डी सुादलशहर द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया। इसलिए अप्रार्थी ऋणी/गारन्टर सुरेन्द्रकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जांगिड निवासी 51बी नई धानमण्डी सुादलशहर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त सम्पति Nohra No. 53 Old Dhan mandi Sadulsahar (21.6 x 90) Total 1935 Sq- Feet) Distt. Sriganganagar का भौतिक कब्जा बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति जांगिड़ निवासी 51बी नई धानमण्डी, सादुलशहर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त सम्पति Nohra No. 53 Old Dhan mandi Sadulsahar (21.6 x 90) Total 1935 Sq- Feet) Distt. Sriganganagar का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

२२७-२८
२५-१-१७

यह आदेश आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना
(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर